



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

लेन नॉ 03, भवन संख्या 23, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org, Ph. No. 0135-2665366

विज्ञापन संख्या: उ०च०से०च०बोर्ड / परी०(नर्सिंग) / 56 / 2018-19 / 241

दिनांक: 01 मई, 2021

राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रिक्त

पदों हेतु विज्ञापन

एसोसिएट प्रोफेसर / असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) परीक्षा-2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	—	01 मई, 2021
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	—	03 मई, 2021
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	—	02 जून, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking /Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	02 जून, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

1. रिक्तियों का विवरण— राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (13) तथा एसोसिएट प्रोफेसर (02) के पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 15 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:—

पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल
एसोसिएट प्रोफेसर	₹ 67,700-2,08,700 (लेवल 11)	01	00	00	00	01	02
असिस्टेन्ट प्रोफेसर	₹ 56,100-1,77,500 (लेवल 10)	04	00	02	01	06	13

2. क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है—

अ) एसोसिएट प्रोफेसर

आरक्षित श्रेणी	भरे जाने वाले पदों की संख्या	महिला 30%	पूर्व सैनिक 5%	स्व0सं0सैनानी आश्रित 2%	दिव्यांगजन 4%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 5%	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य/अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	01
अनु0जाति	01	00	00	00	00	—	01
अनु0जनजाति	00	00	00	00	00	—	00
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	—	00
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	00	00	00	00	00	—	00
योग	02	00	00	00	00	00	02

ब) असिस्टेन्ट प्रोफेसर

आरक्षित श्रेणी	भरे जाने वाले पदों की संख्या	महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	स्व0सं0सैनानी आश्रित 2%	दिव्यांगजन 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य/अनारक्षित	06	01	00	00	00	00	05
अनुसूचित जाति	04	00	00	00	00	—	04
अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	00	—	00
अन्य पिछड़ा वर्ग	02	00	00	00	00	—	02
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	01	00	00	00	00	—	01
योग	13	01	00	00	00	00	12

3. **पद का स्वरूप-** राजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त।

4. **वेतनमान-**

- (अ) एसोसिएट प्रोफेसर- ₹ 67,700-2,08,700 (लेवल 11)
 (ब) असिस्टेन्ट प्रोफेसर- ₹ 56,100-1,77,500 (लेवल 10)

5. **शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हतायें-**

- (अ) एसोसिएट प्रोफेसर- एम0एस0सी0 नर्सिंग के साथ 08 वर्ष का अनुभव, जिसमें 05 वर्ष अध्यापन कार्य का अनुभव। पी0एच0डी0 (नर्सिंग) वांछनीय।
 (ब) असिस्टेन्ट प्रोफेसर- एम0एस0सी0 नर्सिंग के साथ 03 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव। पी0एच0डी0 (नर्सिंग) वांछनीय।

अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

- (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

6. अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की नर्सिंग काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

7. **आयु-**

- (अ) एसोसिएट प्रोफेसर- आयु सीमा न्यूनतम 31 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होगी।
 (ब) असिस्टेन्ट प्रोफेसर- आयु सीमा न्यूनतम 26 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होगी।

आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2021 है। उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, दिव्यांग व्यक्तियों को समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट होगी जितनी अनुमन्य होगी। पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में भी उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों में विहित होगी।

8. **राष्ट्रीयता-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी (क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, यूगांडा और संयुक्त तांजनिया गणराज्य तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम~~खुम्हाल्सेउक्तियुक्त~~भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

9. **चरित्र—** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

10. **वैवाहिक प्रास्थिति—** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई जीवित पत्नी हो,

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

11. **शारीरिक स्वस्थता—** किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जाएगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह—

(क) सेवा में किसी राजपत्रित पद की स्थिति में राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामलों में वितीय-हस्त पुस्तिका खण्ड-दो भाग-3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

12. **आरक्षण—** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा:

(क) लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org देखें।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। “अनाथ बच्चों” से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(घ) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ङ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना आवश्यक है।

(च) जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(छ) दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जिस-जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/XXX(2)/17/30(5)/2014-TC दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, 196/XVII-2/2011-29 (स०क०) / 2003 दिनांक 25 मार्च, 2011, दिव्यांग(पी०एच०), OL(One Leg Affected) के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(ज) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को शासनादेश संख्या: 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(ज्ञ) उत्तराखण्ड महिला आरक्षण हेतु वही अभ्यर्थी पत्र होगी, जोकि उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी हो और जिसने आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप में उत्तराखण्ड का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने तथा अन्तिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड महिला के आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर महिला आरक्षण हेतु निर्धारित कॉलम पर दावा करना अनिवार्य होगा।

13. अति महत्वपूर्ण निर्देश-

- (01) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।
आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (02) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो।
अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (**Marksheet Issuing Date**) हो।
विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
- (03) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (04) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (05) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (06) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, स्नातक, परास्नातक उपाधि व अंकतालिका, नर्सिंग कार्डिनेल का स्थाई प्रमाण पत्र, अनुभव, अधिमानी अर्हता, उर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण तथा अधिवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- (07) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- (08) एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा।

14. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश-

- (01) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org पर जायें। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाईट पर दिनांक 03 मई, 2021 से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा।
- (02) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने, आवश्यक अभिलेख संलग्न करने तथा आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 02 जून, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे) है।

(03) अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।

(04) जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(05) ऑफलाइन/हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(06) अधूरे/अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(07) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भली-भांति जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी उक्त प्रविष्टियों को ठीक कर लें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में Submit Button पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।

(08) अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव, नर्सिंग काउंसिल का स्थाई प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(09) "**You have successfully submitted your application for Nursing Assistant Professor/Associate Professor**" का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

15. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

ऑनलाइन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. Step 1: Registration Profile
2. Step 2: Application Submission
3. Step 3: Fees Payment

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का विवरण:-

1. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाईट www.ukmssb.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाईट www.ukmssb.org पर Apply Now में जाकर दिये गये लिंक पर क्लिक कर Registration Profile बनाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदकों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर का होना आवश्यक है।
4. आवेदकों को Online Application Form में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव (Save) करना होगा।
5. आवेदकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और वांछित प्रमाण पत्र की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना होगा।
 - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (20 KB to 50 KB) (JPG Format)
 - स्कैन किये हुए हस्ताक्षर का साइज (5 KB to 20 KB) (JPG Format)
 - अन्य वांछित प्रमाण पत्र (100 KB to 300 KB) (PDF Format)
6. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु शुल्क जमा करने से पूर्व निर्धारित स्थान पर अपने हाईस्कूल प्रमाण पत्र, अन्य वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि हो), जाति प्रमाण पत्र, नर्सिंग काउंसिल का स्थाई प्रमाण पत्र आदि अपलोड किये जाने अनिवार्य हैं।
7. अभ्यर्थी आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
8. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसमें आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

9. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता:-

- नेटबैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड

16. **शुल्क-** अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु "Pay Fee" पर विलक करें तथा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा करें-

क्र०सं०	श्रेणी/ उपश्रेणी	आवेदन शुल्क (₹)
1	सामान्य/अनारक्षित (UR)	₹ 2,000/-
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	₹ 1,000/-
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	₹ 2,000/-
4	अनुसूचित जाति (SC)	₹ 1,000/-
5	अनुसूचित जनजाति (ST)	₹ 1,000/-
6	दिव्यांगजन (PH)	₹ 1,000/-

नोट:-

(1) उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी०एफ०एफ०) के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/ श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप-श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/ श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(3) 'उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे' उप-श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य/अनारक्षित हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(4) परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

(5) जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

17. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश-

(1) बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से सम्बन्धित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अहता, अनुभव, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों के मूल अभिलेख प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे, साथ ही सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों के 02 स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में यथासमय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति मात्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार से पूर्व आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित

नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना मात्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर प्रसारित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जारी किये जायेंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना होगा।

(4) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिये यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है।

(5) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन पेजर, ब्लूटूथ, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

(6) अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दौरान अनुशासित आचरण की अपेक्षा की जाती है।

(7) **अँगूठे का निशान-** सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(8) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि एवं समय के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश-पत्र द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय में होगा।

(9) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों से किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) मूल प्रमाण-पत्र के सत्यापन के समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(11) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(12) जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी के आरक्षण का लाभ किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(13) लिखित परीक्षा में सामान्य/अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

(14) देश की किसी भी राज्य की नर्सिंग काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का नर्सिंग काउंसिल स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

18. सामान्य निर्देश—

(01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें।

(02) बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी प्रत्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञाचपन में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(03) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(04) ऑनलाईन मूल आवेदन—पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने आवेदन—पत्र, उपस्थिति—सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(06) हाईस्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

(07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/प्रत्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(08) बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञप्ति पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में अपलोड किये हैं।

(09) शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिवास/स्थाई निवास, जाति प्रमाण पत्र, नर्सिंग काउंसिल का स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(10) अनुभव 01 वर्ष से कम होने पर उसे पूर्ण वर्ष नहीं माना जायेगा, अर्थात् 12 माह से कम (364 दिन) को 01 वर्ष नहीं माना जायेगा। पूर्ण वर्ष होने पर ही एक वर्ष माना जायेगा।

(11) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट (www.ukmssb.org) के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय—समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(12) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से

अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण देना होगा।

(13) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा—

01. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या
 02. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में दुर्व्यवहार करना, कक्ष से भाग जाना, लिखित/साक्षात्कार देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, या
 03. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या
 04. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही,
(क) बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा
(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
 - (1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है।
 - (2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक
- (1) अभ्यर्थी को इस संबन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और
 - (2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

19. अनुभव प्रमाण पत्र—

अनुभव प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो कि विभाग/संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृते का उल्लेख करते हुए निर्गत किये हुए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी विश्वविद्यालय/चिकित्सालय के निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जायेगा।

20. (क) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

शासनादेश संख्या—23 / XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में शासनादेश संख्या 51 / XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 के अनुसार 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' के रिक्त पद को सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

21. परीक्षा पाठ्यक्रम—

● असिस्टेन्ट प्रोफेसर:-

01. लिखित परीक्षा कुल 200 अंक की होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक, गलत उत्तर के लिए $1/4$ ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे। परीक्षा का समय 03 घंटे होगा।

02. **प्रथम प्रश्न पत्र:** 100 अंक, समय— 1 घंटा 30 मिनट। विषय से सम्बन्धित प्रश्नों की प्रकृति निम्नवत् हैः—

- नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग सेवा, नर्सिंग शिक्षा, नर्सिंग प्रशासन, ओ0बी0जी0, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक, साईकेट्री, कम्यूनिटी, रिसर्च, क्लीनिकल, माइक्रोबायलॉजी आदि विषय से सम्बन्धित प्रश्न।

03. **द्वितीय प्रश्न पत्र:** 100 अंक, समय— 1 घंटा 30 मिनट। सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नों का विवरण निम्नानुसार हैः—

- सामान्य ज्ञान।
- उत्तराखण्ड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि से सम्बन्धित प्रश्न।
- तर्कशक्ति दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण अभिक्षमता (Teaching Aptitude) से सम्बन्धित प्रश्न।

04. साक्षात्कार — 40 अंक।

05. कुल — 240 अंक।

● एसोसिएट प्रोफेसर :-

01. लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक, गलत उत्तर के लिए $1/4$ ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे।

02. **प्रथम प्रश्न पत्र:** 100 अंक, समय— 1 घंटा 30 मिनट, इसमें विषय से सम्बन्धित प्रश्नों की प्रकृति निम्नवत् हैः—

- नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजूकेशन, नर्सिंग मैनेजमेन्ट, क्लीनिकल विशेषज्ञता, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस।

03. **द्वितीय प्रश्नपत्र:** 200 अंक, समय— 03 घंटे। विषय से सम्बन्धित प्रश्नों की प्रकृति निम्नवत् हैः—

- मेडिकल सर्जिकल, ओ0बी0जी0, पीडियाट्रिक, साईकेट्री, कम्यूनिटी, क्लीनिकल, माइक्रोबायलॉजी आदि विषय से सम्बन्धित।

04. तृतीय प्रश्नपत्र: 100 अंक, समय— 01 घंटा 30 मिनट, इसमें सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नों का विवरण निम्नानुसार हैः—
- सामान्य ज्ञान।
 - उत्तराखण्ड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि से सम्बन्धित प्रश्न।
 - तर्कशक्ति दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण अभिक्षमता (Teaching Aptitude) से सम्बन्धित प्रश्न।
05. साक्षात्कार— 50 अंक।
06. कुल — 450 अंक।
22. लिखित परीक्षा माह सितम्बर—अक्टूबर 2021 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।
23. साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों को कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जोयगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।
24. परीक्षा कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश—पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

ह० /—
 (गरिमा रौकली),
 सचिव,
 उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
 देहरादून।